20 रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0 प्र0

R 3814 – II/16

प्र. क्र. /

श्री राम सेवक शर्मा अधि. द्वारा आज दि. 4-11-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-11-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

45/ 4-11-16

1. कृष्णा पाल सिंह पुत्र श्री नोनेराजा ठाकुर
आयु 35 साल
2. पुष्पेन्द्र पुत्र नोनेराजा ठाकुर , आयु 32 साल
3. राजेश पुत्र नोनेराजा ठाकुर , आयु 30 साल
समस्त निवासीगण ग्राम तिदारी तहसील
पिछोर जिला शिवपुरी --- आवेदकगण

बनाम

1. भूरी राजा पुत्री विजय बहादुर सिंह पत्नी
अरुण प्रताप सिंह ठाकुर , आयु 38 साल
निवासी ग्राम मामोनी खुर्द हाल निवासी
ग्राम तिदारी तहसील पिछोर जिला शिवपुरी
2. श्यामलाल पुत्र दानीराम प्रजापति ,
उम्र 35 साल
3. रामलाल पुत्र दानीराम प्रजापति आयु 30 साल
4. इमरत पुत्र दानीराम प्रजापति आयु 26 साल
5. उदयभान पुत्र मथुरा परिहार आयु 30 साल
6. सुनील सिंह पुत्र मथुरा परिहार आयु 26 साल
7. देवेन्द्र सिंह पुत्र मथुरा परिहार आयु 24 साल
8. अशोक सिंह पुत्र मथुरा आयु 22 साल
9. राजकुंवर बेवा मथुरा परिहार आयु 60 साल
समस्त निवासीगण ग्राम तिदारी तहसील
पिछोर जिला शिवपुरी -- अनावेदकगण

राम सेवक शर्मा अधि.
4-11-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क ,म.प्र.भू.रा.स. 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.09.16 द्वारा पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी प्र. क्र. 16/13-14 कृष्णा पाल सिंह विरूद्ध भूरी राजा आदि के निर्णय से दुखी होकर

श्रीमान जी,

आवेदकगण की निगरानी तथ्यों एवं आधारो पर प्रस्तुत है:-

1. यह कि, सर्वे न. 1241 , 1242, 1243, 1249 , 1250 कुल मिता 5 कुल रकवा के सम्बंधा में अनावेदक क्र. 1 द्वारा बटवारा आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा आवेदन में यह व्यक्त किया कि कृषि का सुधार नहीं हो रहा तथा शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है इस कारण हम सह खातेदारो के मध्य प्रकरण में वर्णित भूमि का बटवारा कर दिया जावे ।

2. यह कि, तहसीलदार पिछोर द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों को नोटिस जारी ना करते हुये एकपक्षीय रूप से प्रकरण को पेंडिंग कर प्रकरण में दिनांक 11.4.11 को बटवारा आदेश पारित किये जिसको जानकारी होने पर हम आवेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के समक्ष प्रस्तुत की जिसके साथ प्रकरण में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु धारा 5 अवधि अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसका जबाव अनावेदकगण द्वारा दिया गया किन्तु दिनांक 22.9.16 को अपीलीय न्यायालय द्वारा आवेदक का धारा 5 का आवेदन निरस्त कर अपील निरस्त कर दी जिसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत कीजा रही है ।

निगरानी के आधार

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।

(2)

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./3814/दो/2016 जिला शिवपुरी

कृष्णपाल सिंह आदि विरूद्‌ध भूरीराजा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्‌वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पिछोर , जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 16/2013-14/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 22/9/16 विरूद्‌ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06/8/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	